540460/2021/IA_III

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092021-229470
CG-DL-E-07092021-229470

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3326] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 7, 2021/भाद्र 16, 1943
No. 3326] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 7, 2021/BHADRA 16, 1943

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2021

का.आ. 3631(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्पश्चात पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) के अनुसरण में, (इसमें इसके पश्चात इसे उक्त अधिसूचना के रूप में कहा जाएगा) राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) (इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण, दिल्ली कहा गया है) का निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए गठन करती है, अर्थात् :

(1)	(2)	(3)
1.	श्री सर्वज्ञ कुमार श्रीवास्तव 370, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, सिरीफोर्ट, नई दिल्ली-110049	अध्यक्ष;
2.	सुश्री रीना गुप्ता एस-11/9 डीएलएफ फेस-III, गुड़गांव	सदस्य;
3.	विशेष सचिव (पर्यावरण) पर्यावरण विभाग, जीएनसीटीडी	सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण, दिल्ली के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के लिए कार्यभार संभालेंगे।

3. प्राधिकरण, दिल्ली उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

4. प्राधिकरण दिल्ली, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की सिफ़ारिशों पर अपना निर्णय लेगा।

5. प्राधिकरण, दिल्ली की सहायता के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) की सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) (इसमें इसके पश्चात एसईएसी, दिल्ली कहा गया है) का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात :-

1	2	3
1.	श्री विजय गर्ग प्लॉट नं.21, डी ब्लॉक, पंखा रोड, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, दिल्ली - 110058	अध्यक्ष ;
2.	डॉ. कैलाश चंद तिवारी टाइप-5, फ्लैट सं.27, डीटीयू कैम्पस, (एसबीआई के पास), दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय, शाहबाद दौलतपुर, बवाना रोड, दिल्ली-110042	सदस्य ;
3.	सुश्री प्रोमिता राय 65 सुरूचि अपार्टमेंट, प्लॉट सं. 31, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075	सदस्य ;
4.	डॉ. सुमित कुमार गौतम तकनीकी विशेषज्ञ (एसजीआर) जीआईज़ेड कार्यालय (भारत) चतुर्थ तल, बी5/1, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029	सदस्य ;
5.	श्री सुरिन्द्र कुमार जुनेजा बी-57, तृतीय तल शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली	सदस्य ;
6.	श्री चेतन अग्रवाल टी2-2804 टाटा प्राइमंती, सेक्टर 72, गुडगांव-122101	सदस्य ;
7.	श्री आशीष गुप्ता 3/19, बेसमेंट नेहरू एन्कलेव पूर्व, नई दिल्ली-110019	सदस्य ;
8.	सुश्री ज्योति मेंदीरेट्टा एच-34, लोअर ग्राउंड फ्लोर, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014	सदस्य ;
9.	श्री प्रणय लाल सी-6, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110006	सदस्य ;
10.	श्री गोपाल मोहन के-87, बी के दत्त कॉलोनी, जोर बाग लेन, नई दिल्ली-110003	सदस्य ;
11.	श्री अंकित श्रीवास्तव फ्लैट सं.33/1, पॉकेट डी-6, सेक्टर—6, रोहिणी, दिल्ली-110085	सदस्य ;
12.	डॉ. सिराजुद्दीन अहमद, सिविल इंजीनियरी विभाग जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025	सदस्य ;
13.	ज्येष्ठ पर्यावरण इंजीनीयर (ईआईए), डीपीसीसी	सदस्य-सचिव

6. एसईएसी, दिल्ली के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के लिए कार्यभार संभालेंगे।

IndiaCode

7. एसईएसी, दिल्ली उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

8. एसईएसी, दिल्ली सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और यदि सहमति प्राप्त नहीं हो सकती, बहुमत का विचार अभिभावी होगा।

9. हितों के किसी विवाद से बचने के लिए :

(क) प्राधिकरण, दिल्ली और एसईएसी, दिल्ली के अध्यक्ष और सदस्य यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन और किस परियोजना प्रस्तावक के साथ जुड़े हुए हैं।

(ख) प्राधिकरण, दिल्ली और एसईएसी, दिल्ली के अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव निर्धारण (ईआईए), पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने में न तो कोई परामर्श देंगें, न ही उससे जुड़ेंगे, जिसका मूल्यांकन प्राधिकरण, दिल्ली और एसईएसी, दिल्ली द्वारा किया जाना है; और

(ग) यदि गत पाँच वर्ष में प्राधिकरण, दिल्ली और एसईएसी, दिल्ली के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए कोई परामर्शी सेवा प्रदान की हैं या ईआईए अध्ययनों का संचालन किया हैं, ऐसी स्थिति में, वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, दिल्ली और एसईएसी, दिल्ली की बैठकों में स्वयं सम्मिलित होने से बचेंगे।

10. प्राधिकरण, दिल्ली और एसईएसी, दिल्ली के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए दिल्ली सरकार एक अभिकरण को अधिसूचित करेगा और वह सचिवालय उनके सभी कानूनी कार्यों के संबंध में आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित सभी वित्तीय और संभार तंत्र सहायता प्रदान करेगा ।

11. प्राधिकरण, दिल्ली और एसईएसी, दिल्ली के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013-62/2007.आईए-II(I)]

डॉ. सुजीत कुमार वाजपेयी, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2021

S.O. 3631(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, National Capital Territory (NCT) of Delhi (hereinafter referred to as the Authority, Delhi) comprising of the following Members, namely: -

(1)	(2)	(3)
1.	Mr. Sarvagya Kumar Srivastava 370, Asiad Village Complex, Sirifort, New Delhi-110049	Chairman;
2.	Ms Reena Gupta S-11/9 DLF Phase-III, Gurgaon	Member;
3.	Special Secretary (Environment) Department of Environment, GNCTD	Member – Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Delhi shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Delhi shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Delhi shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 for the National Capital Territory (NCT) of Delhi.

5. For the purpose of assisting the Authority, Delhi; the Central Government; in consultation with the National Capital Territory (NCT) Government of Delhi, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereinafter referred to as SEAC, Delhi) comprising of the following Members, namely: -

(1)	(2)	(3)
1.	Shri Vijay Garg Plot No. 21, D Block, Pankha Road, Institutional Area, Janakpuri, Delhi-110058	Chairman;
2.	Dr. Kailash Chand Tiwari Type-5, Flat No. 27, DTU Campus, (Near SBI), Delhi Technical University, Shahbad Daulatpur, Bawana Road, Delhi-110042	Member;
3.	Ms Promita Roy 65 Suruchi Apartment, Plot No. 31, Sector-10, Dwaraka, New Delhi-110075	Member;
4.	Dr. Sumit Kumar Gautam Technical Expert (SGR) GIZ Office (India) 4th Floor, B5/1, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029	Member;
5.	Mr Surinder Kumar Juneja B-57, Third Floor Shankar Garden, Vikaspuri, New Delhi	Member;
6.	Shri Chetan Agrawal T2-2804 Tata Primanti, Sector 72, Gurgaon-122101	Member;
7.	Mr. Ashish Gupta 3/19, Basement Nehru Enclave East, New Delhi-110019	Member;
8.	Ms Jyoti Mendiretta H-34, Lower Ground Floor, Jangpurs Extension, New Delhi-110014	Member;
9.	Shri Pranay Lal C-6, Qutub Institutional Area, New Delhi-110006	Member;
10.	Mr. Gopal Mohan K-87, B K Dutta Colony Jor Bagh Lane, New Delhi-110003	Member;
11.	Mr. Ankit Srivastava Flat No.33/1, Pocket D-6, Sector-6, Rohini, Delhi-110085	Member;
12.	Dr. Sirajuddin Ahmed, Department of Civil Engineering Jamia Millia University, Jamia Nagar, New Delhi-110025	Member;
13.	Senior Environment Engineer (EIA), DPCC	Member- Secretary.

IndiaCode

6. The Chairman and Members of SEAC, Delhi shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Delhi shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Delhi shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest –

(a) the Chairman and Members of the Authority, Delhi and SEAC, Delhi shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) the Chairman and Members of the Authority, Delhi and SEAC, Delhi shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Delhi and SEAC, Delhi during their tenure; and

(c) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Delhi and SEAC, Delhi have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meeting of the Authority, Delhi and SEAC, Delhi in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The Government of Delhi shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Delhi and SEAC, Delhi and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

11. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority, Delhi and SEAC, Delhi shall be paid as per the rules of the National Capital Territory (NCT) Government of Delhi.

[F. No. J-11013-62/2007-IA-II(I)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

India Code

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.07 21:43:26 +05'30'